



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21052022-235949
CG-DL-E-21052022-235949

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2225]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 20, 2022/वैशाख 30, 1944

No. 2225]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 20, 2022/VAISAKHA 30, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2022

का.आ. 2345(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4449 (अ) तारीख 18.10.2021 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा झारखण्ड राज्य में जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा पाइपलाइन (जे एच बी दी पी एल) & स्पर पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, सक्षम प्राधिकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइनों बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइनों बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम कि धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निर्देश देती है कि पाइपलाइनें बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, पाइपलाइनें बिछाने का प्रस्ताव करने वाली गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विल्लंगमों से मुक्त, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

जगदीशपुर-हल्दिया एण्ड बोकारो-धामरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट

अनुसूची

बोकारो अंगुल पाइपलाइन

राज्य—झारखण्ड

जिला	तहसील	गांव	थाना नं	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल		
					हेक्टेअर—आर—वर्ग मीटर		
रांची	नामकुम	खरसीदाग	326	634	00	01	62
रांची	नामकुम	तेतरी	325	796	00	01	14
				795	00	00	49
				850	00	02	31
				947	00	02	79
				946	00	04	95
रांची	नामकुम	किसकी	292	902	00	00	20
				903	00	09	53
				909	00	00	49
				923	00	01	96

[फा. सं. एल-14014/106/2022-जीपी.(ई.42951)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2022

S.O. 2345(E).—Whereas by the notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas vide S. O. No. 4449 (E) dated 18.10.2021 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Jagdishpur-Haldia-Bokaro-Dhamra Pipeline (JHBDPL) & Spur Pipeline in the State of Jharkhand by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And, whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted his report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

Jagdishpur-Haldia & Bokaro-Dhamra Pipeline Project

SCHEDULE

Bokaro Angul Pipeline

State – Jharkhand

District	Block	Village	Thana No.	Survey No.	Area		
					Hectare-Are-Sq-mtr		
Ranchi	Namkum	Kharsidag	326	634	00	01	62
Ranchi	Namkum	Tetri	325	796	00	01	14
				795	00	00	49
				850	00	02	31
				947	00	02	79
				946	00	04	95
Ranchi	Namkum	Kiski	292	902	00	00	20
				903	00	09	53
				909	00	00	49
				923	00	01	96

[F. No. L-14014/ 106/2022-GP-II (E-42951)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.